न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान इन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 54/2025
निर्णय दिनांक ...05/05/..2025...

इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी लुडनियां बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि खाता संख्या 68 नया के खसरा नं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट. व खसरा नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. कुल तादादी 11.2667 हैक्ट वाके रोही मौजा लुडनियां बड़ा पटवार हल्का कालवास तथा कृषि भूमि खाता संख्या 73 नया के खसरा नं. 246/57 तादादी 0.3161 हैक्ट. वाके रोही लुडनियां छोटा पटवार हल्का कालवास तहसील तहसील तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की कृषि भूमियों में प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि खाता संख्या 68 नया की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 तथा खाता संख्या 73 नया की राजस्व जमाबंदी संवत 2074–2077 में इंतकाल के समय दस्तावेजी एवं विभागीय भूलवश गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम का नाम इन्द्र पुत्र मनीराम दर्ज हो गया, जो गलत है, जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुई। जबकि प्रार्थी का सही नाम इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम है। अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैन कार्ड में इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम दर्ज है। प्रार्थी ने जमांवदी में अपना नाम इन्द्र पुत्र मनीराम के स्थान पर इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अव प्रार्थी जमावन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि खाता संख्या 68 नया के खसरा नं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट. व खसरा नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. कुल तादादी 11.2667 हैक्ट वाके रोही मौजा लुडनियां वड़ा पटवार हल्का कालवास तथा कृषि भूमि खाता संख्या 73 नया के खसरा नं. 246/57 तादादी 0.3161 हैक्ट. वाके रोही लुडनियां छोटा पटवार हल्का कालवास तहसील तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम इन्द्र पुत्र मनीराम व इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान–पत्र व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्र पुत्र मनीराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खाता संख्या 68 नया के खसरा नं. 247/207 तादादी 6.6386 हैक्ट. व खसरा नं. 265/13 तादादी 4.6281 हैक्ट. कुल तादादी 11. 2667 हैक्ट वाके रोही मौजा लुडनियां बड़ा पटवार हल्का कालवास तथा कृषि भूमि खाता संख्या 73 नया के खसरा नं. 246/57 तादादी 0.3161 हैक्ट. वाके रोही लुडनियां छोटा पटवार हल्का कालवास तहसील तहसील तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **इन्द्र पुत्र मनीराम Delete** कर इसके स्थान पर **इन्द्र सिंह पुत्र मनीराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/05/...2025. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)